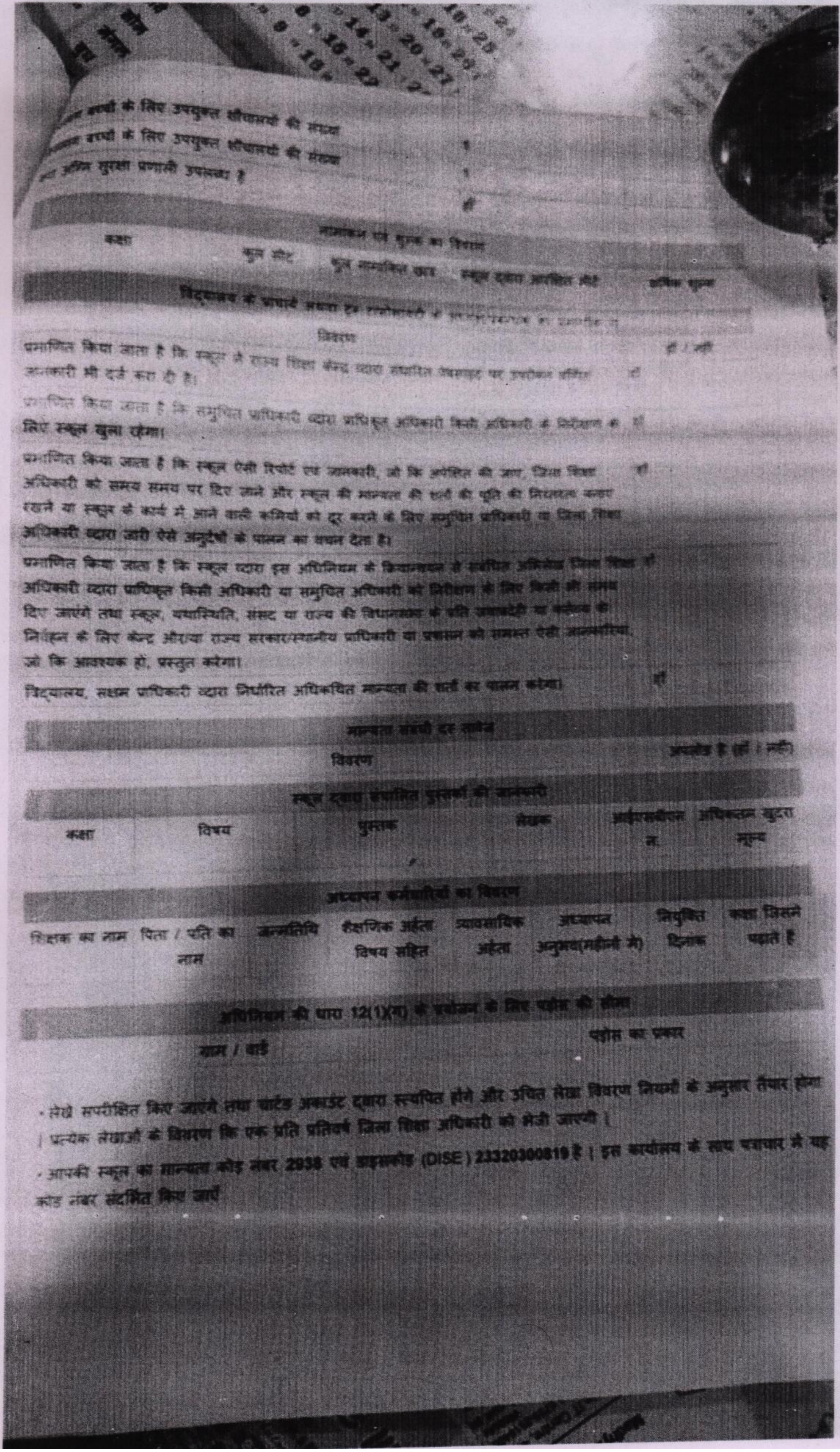

बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1
बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1
अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें	औसत शुल्क

विद्यालय के मानदंड तथा इन मानकों के अनुपालन का प्रमाणीकरण

विवरण	हाँ / नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित वेबसाइट पर उपरोक्त सभी जानकारी भी दर्ज करा दी है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रखेगा।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति को निरन्तर बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।	हाँ
विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।	हाँ

मान्यता संबंधी दस्तावेज

विवरण	अपलोड है (हाँ / नहीं)

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएसबीएन न.	अधिकतम खुदरा मूल्य

अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अर्हता विषय सहित	व्यावसायिक अर्हता	अध्यापन अनुभव(महीनों में)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसने पढ़ाते है

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

नाम / वार्ड	पड़ोस का प्रकार

- लेखे सपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड अकाउंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा | प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी |
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 2938 एवं डाइसकोड (DISE) 23320300819 है | इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किया जाएँ

प्ररूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 127248/ 2938 ; कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (भोपाल), मध्यप्रदेश

स्कूल: Shree Bhavans Bharti Public School ; मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता ; मान्यता दिनांक - 09/05/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.05.09 18:21:51 +
Reason: Issued By: deo bhop

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक (Shree Bhavans Bharti Public School)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2022 और इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के प्रसंग में, मैं आपकी स्कूल - Shree Bhavans Bharti Public School यूडाइस कोड : 23320300419 स्कूल क्रमांक : PS 2938 को कक्षा प्राथमिक-माध्यमिक से आठवी तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपाबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा परंतु कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में विर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक को किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
  - o (क) आयु के सबूत के अभाव में ;
  - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है.
  - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - o किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - o प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा
  - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; परंतु कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते है, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी
  - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - o प्राइवेट ट्यूशन कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगें/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे । अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-